राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 321/2012

मगफूल बागवान **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर डिवीजन, जयपुर।
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा, पंचायत समिति, महुआ, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.05.2012
आदेश की दिनांक : 28.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2011 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उसकी पत्नी की बीमारी में हुए चिकित्सा व्यय रूपये 3,27,752/– का पूर्ण भुगतान कराया जाए और भुगतान राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलायी जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती शमीम बेगम ह्रदय रोग से पीडित थी, जिसका उपचार के लिए अपीलार्थी ने एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में भर्ती कराया, जिसकी बीमारी के लिए एस.एम.एस. ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया। उक्त बोर्ड की अभिशंषा पर उसकी बीमारी पर लगभग रूपये 3,50,000/– के खर्चा का अनुमान लगाया, जिसके द्वारा अपीलार्थी ने चिकित्सा खर्चे के लिए रूपये 2,45,000/– जमा कराए। तत्पश्चात् चिकित्सा व्यय के लिए दिनांक 25.08.2011 को विशेषज्ञों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। अपीलार्थी की पत्नी की अधिक तबीयत खराब होने पर उसे फोर्टिस अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसका ईलाज किया गया। अपीलार्थी ने

यह कहा है कि अपीलार्थी पत्नी को एस.एम.एस. के डॉक्टर दीपक महेश्वरी, जिनका ईलाज चल रहा था। उन्होंने फोर्टिस अस्पताल के लिए रैफर किया था। ईलाज के दौरान लगभग रूपये 3,03,689/– के बिल अपीलार्थी ने प्रस्तुत किए थे। वे समस्त चिकित्सा व्यय का रूपये 3,27,752/– की राशि का पुर्नभरण हेतु निवेदन किया था। अपीलार्थी पत्नी का ईलाज के दौरान दिनांक 10.02.2011 को दुःखद देहांत हो गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा व्यय रूपये 3,27,752/– के बिल के एवज में एवं रूपये 89,346/– चिकित्सा व्यय स्वीकार किया गया, शेष राशि स्वीकार नहीं की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रतिवेदन दिनांक 16.05.2011 विभाग में प्रस्तुत किया, परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बनाम अशोक कुमार जैन डब्ल्यू.एल.सी. 2018 (2) पेज 87 प्रस्तुत किया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सा में खर्च हुए व्यय का समस्त भुगतान किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पूरा भुगतान दिए जाने का आदेश पारित किया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2011 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को उसकी पत्नी की बीमारी में हुए चिकित्सा व्यय रूपये 3,27,752/– का पूर्ण भुगतान कराया जाए और उक्त राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित दिलायी जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को जो चिकित्सा पुनर्भरण रूपये 89,346/– का भुगतान किया गया है, जो चिकित्सा विभाग के नियमानुसार किया गया है। चुनौती आदेश दिनांक 20.06.2011 में कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की चिकित्सकीय उपचार में जो व्यय किया था, उसके द्वारा संपूर्ण चिकित्सा बिल प्रस्तुत किए गए हैं और अपीलार्थी की पत्नी को एस.एम.एस. के चिकित्सक ने ही फोर्टिस अस्पताल, जयपुर में ईलाज के लिए रैफर किया गया था। इस प्रकार विभाग अपीलार्थी की पत्नी की बीमारी के चिकित्सा पुनर्भरण

के लिए मना नहीं कर सकता। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ का निर्णय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बनाम अशोक कुमार जैन डब्ल्यू. एल.सी. 2018 (2) पेज 87 प्रस्तुत किया, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि चिकित्सा में खर्च हुए व्यय का समस्त भुगतान किया जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने पूरा भुगतान दिए जाने का आदेश पारित किया। जहां तक अपीलार्थी को उसकी पत्नी के उपचार में हुए व्यय के चिकित्सीय बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा उनका सही भुगतान नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–7 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक द्वारा जारी आदेश में अपीलार्थी की पत्नी के उपचार के संबंध में मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, तदुपरान्त बोर्ड के निर्देशानुसार ही उसकी पत्नी का पूर्ण उपचार किया गया, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उपचार के संबंध में हुए व्यय के प्रमाणित चिकित्सीय बिल के आधार पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.06.2011 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा विभाग को प्रस्तुत प्रमाणित चिकित्सीय बिल के आधार पर नियमानुसार उसकी पत्नी के उपचार में हुए चिकित्सा व्यय रूपये 3,27,752/– का नियमानुसार सही भुगतान किया जावे। उक्त आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 2 माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य